आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः F7(4)Acad./CCE/Transport Voucher Scheme/2024-13759/

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः— पात्र छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 का लाभ दिलवाये जाने हेतु।
संदर्भः— आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ7(4)ट्रांसपोर्ट वाउचर/बजट घोषणा /अकाद/आकाशि/2023/02358/122 दिनांक 10.07.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छात्राओं के आवास से महाविद्यालय की दूरी तथा आर्थिक विषमताओं के चलते ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा के तर्ज पर छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाने की बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 10.07.2023 को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के संबंध दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

अतः राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे पात्र छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का लाभ दिलवाये जाने हेतु आयुक्तालय द्वारा जारी संदर्भित दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही उक्त हेतु आवश्यक संसाधन आधार आधारित बायोमैट्रिक मशीन आदि को क्रय की जाने की कार्यवाही महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.02 20:20:16 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4) ट्रांसपोर्ट वाउचर/बजट घोषणा/अकाद/आकाशि/2023/02358/122 दिनांकः 10/7/2023

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 के दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना–

राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा के तर्ज पर छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाने की बजट घोषणा (2023–24) की गई है।

छात्राएं स्कूल शिक्षा के पश्चात् निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् आवास से महाविद्यालय की दूरी तथा आर्थिक विषमताओं के चलते उच्च अध्ययन छोड़ देती है, महाविद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए आवास से महाविद्यालय तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लाभार्थी –

राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राएं।

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –

1. किसी भी वर्ष में स्कूटी योजना के तहत लाभान्वित छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।
2. छात्राओं का आवास से महाविद्यालय आने व जाने हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र में भरे गये पते को सत्र के अन्त तक बदला नहीं जा सकेगा।

Signature valid
Digitally signed by S[illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.0[illegible]:28:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4241867

4. दूरी की गणना आवास से महाविद्यालय तक सबसे कम दूरी (Shortest Distance) वाले सड़क मार्ग से की जायेगी।

5. महाविद्यालय में मासिक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाली छात्राऐं ही इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र होगी। उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन द्वारा संधारित की जायेगी।

6. किसी भी योजनान्तर्गत निःशुल्क छात्रावास/आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली छात्राऐं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।

7. उक्त योजना का लाभ अधिकतम 180 शिक्षण दिवस/6 माह के लिए दिया जायेगा।

8. राज्य सरकार की किसी भी योजनान्तर्गत ट्रांसपोर्ट का लाभ लेने वाली छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत् स्वीकृत राशि की दर –

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत 10 कि.मी. से अधिक दूरी से महाविद्यालय आने वाली छात्राओं को रूपये 20/– प्रतिदिवस का लाभ दिया जाएगा।

5. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन –

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिको की एक 'ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना' समिति का गठन किया जायेगा ।

सम्पूर्ण योजना आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी।

6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबंधन –

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत भुगतान योजना के बजट मद में उपलब्ध राशि से सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा मासिक/ त्रैमासिक आधार पर समिति की अभिशंषानुसार किया जावेगा । भुगतान पे– मैनेजर पोर्टल पर बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से किया जावेगा।

यह योजना वित विभाग की आई.डी. संख्या [illegible] दिनांक [illegible] द्वारा अनुमोदित है।

Signature valid
Digitally signed by S[illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.0[illegible]:28:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4241867

7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत भुगतान की प्रकिया –

1. बिन्दु संख्या 3 के अनुसार पात्र छात्राओं द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (प्रारूप संलग्न)

2. महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा गठित ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना समिति द्वारा छात्राओ की उपस्थिति मासिक आधार पर संधारित की जायेगी।

3. छात्राओं को किया जाने वाला भुगतान योजनान्तर्गत आवेदन में भरे गये बैंक खाते में किया जायेगा किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।

समाप्त

अनुलग्नक –1 महाविद्यालय में अध्यनरत छात्राओ हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप।

अनुलग्नक –2 महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण।

(सुनील शर्मा)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.0[illegible]:28:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4241867

Annexure - 1

महाविद्यालय में अध्यनरत छात्राओ हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

भाग क

(विद्यार्थी द्वारा भरा जायेगा)

सत्र____________

1. छात्रा का नाम – ______________________________
2. पिता का नाम – ______________________________
3. महाविद्यालय का नाम – ______________________________
4. एप्लीकेशन आई डी (ऑनलाईन प्रवेश के समय जारी) –____________________
5. कक्षा एवं वर्ग – ______________________________
6. निवास स्थान का पता– ______________________________
____
____
7. मोबाईल नम्बर –______________________________
8. ईमेल आई. डी. – ______________________________
9. निवास स्थान से महाविद्यालय की सड़क मार्ग से निकटतम दूरी (Shortest Distance) – ____________________ कि.मी.
10. जन आधार संख्या – ______________________________
11. आधार संख्या – ______________________________
12. बैंक खाते का विवरण –
    (i) खाताधारक का नाम ______________________________
    (ii) बैंक का नाम ______________________________
    (iii) ब्रांच का नाम ______________________________
    (iv) खाता संख्या ______________________________
    (v) आई.एफ.एस.सी ______________________________

संलग्न :– जन आधार एवं पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

घोषणा–

1. मुझे किसी भी वर्ष मे राज्य सरकार की स्कूटी योजनाओं के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त नहीं हुई है।
2. मुझे किसी योजना अन्तर्गत छात्रावास/आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं [illegible] है।
3. मुझे राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत [illegible] है।

अभिभावक के हस्ताक्षर   दिनांक –   छात्रा के हस्ताक्षर

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.0[illegible]:28:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4241867

Annexure - 2

भाग ख

(कार्यालय उपयोग हेतु)

महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन मे वर्णित समस्त तथ्यों का महाविद्यालय के रिकोर्ड से मिलान कर लिया गया है। छात्रा ___________________ पिता का नाम _____________________ कक्षा _________ वर्ग_____ मे अध्ययनरत है जिसका एस आर क्रमांक __________ है।

अतः उक्त छात्रा को नियमानुसार परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट वाउचर) दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर ट्रांसपोर्ट वाउचर समिति
मय सील

हस्ताक्षर प्राचार्य
मय सील

Signature valid

Digitally signed by S[illegible] Sharma
Designation: Com[illegible]sioner
Date: 2023.0[illegible]:28:35 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No. : 4241867